



F - 07 - 08
F - 07 - 11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 1543 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 1543

मद /For Product: हेड अप डिस्प्ले, पार्ट सं. 1710 001 750 91

Head up Display, Part No.: 1710 001 750 91

यह प्रमाणित किया जाता है कि सी एस आई आर-सी एस आई ओ, सेक्टर-30 सी, चंडीगढ़ - 160 030, द्वारा अभिकल्पित और विकसित तथा मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लॉट सं. 405, फेस-III, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकुला-134 113, हरियाणा द्वारा उत्पादित "हेड अप डिस्प्ले", पार्ट सं. 1710 001 750 91, को संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1543, दिनांक 18 अक्टूबर 2010 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1543 जारी किया गया जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2015 तक थी। तदुपरांत संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1543/2ए, दिनांक 01 जुलाई 2013 द्वारा अनुशेष जारी किया गया था।

This is to certify that the "Head up Display", bearing Part No.: 1710 001 750 91, designed and developed by CSIR - CSIO, Sector - 30 C, Chandigarh - 160 030 and manufactured by M/s Bharat Electronics, Plot No.: 405, Phase - III, Industrial Area, Panchkula - 134 113, Haryana was issued with Type Approval No.: 1543 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1543, dated: 18th October 2010 with validity up to 31st December 2015. Subsequently addendum issued vides Ref. No.: CEMILAC / 5070 / TA-1543/2A, dated: 01st July 2013.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 मार्च 2019 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 29 फरवरी 2024 तक वैध है। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (3) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (चंडीगढ़), सेमिलैक, डीआरडीओ, रक्षा मंत्रालय, चंडीगढ़ – 160 003, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f 01st March 2019 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 29th February 2024 unless otherwise suspend, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Chandigarh), CEMILAC, DRDO, Ministry of Defence Chandigarh – 160 003 three (03) months before the expiry of Type Approval with all relevant documents including user's performance feedback, quantity produced & rejection, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं.:सेमिलैक / 5070 / टीए-1543, दिनांक 18 जुलाई 2010 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद (04) चार में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para (04) four of original Type Approval Certificate vides Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1543, dated: 18th July 2010 is amended as stated herewith.

“अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूर – 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru-560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.:सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1543/1R

दिनांक/Date : 29 March 2019

फैक्स सं./Fax No.: 080 – 2523 0856

K.B. J.R.

P.J.

पी . जयपाल/ P. JAYAPAL

उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist

मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/

Chief Executive (Airworthiness)